संख्या–6318 / 9–आ–3–1999

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 10 दिसम्बर, 1999

विषय :नगरों की महायोजना में सेलुलर मोबाइल फोन के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण का अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर जारी किये गये शासनादेश संख्या–218 / 9–आ–3–98–100–विविध / 1997, दिनांक 16 मार्च, 1998 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुछ विकास प्राधिकरणों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि निर्माताओं ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य करा दिया अथवा प्रारम्भ कर दिया और इसी आधार पर निर्माताओं के विरुद्ध चालानी प्रक्रिया की गयी। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 24–1–98 में धारा–14 तथा 15 से दी गयी छूट का कोई लाभ न होगा, यदि निर्माताओं को आवश्यक निर्माण कराये जाने के पूर्व अनुमति अथवा मानचित्र स्वीकृत करा लेने की बाध्यता होगी। उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त छूट का अभिप्राय यह है कि निर्माताओं को केवल आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र तथा प्रस्तावित एन्टीना टावर तथा भवन के सम्बन्ध में सुरक्षित होने का प्रमाण–पत्र आदि ही निर्माण से पूर्व रुपया–5000 / – की अनुज्ञा फीस के साथ जमा किये जाने का प्रतिबन्ध रखा गया है। यदि निर्माता तद्नुसार मानचित्र व सुरक्षा प्रमाण–पत्र अनुज्ञा फीस के साथ जमा कर देता है तो इसी से यह मान लिया जायेगा कि निर्माण करने की अनुमति एवं मानचित्र की स्वीकृति उसे प्राप्त हो गयी है।

यदि अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी, 1998 से उल्लिखित शर्तों की पूर्ति निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में धारा–14 तथा 15 से छूट अनुमन्य न होगी और इन धाराओं का उल्लंघन मानते हुये शमन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। शमन की कार्यवाही एवं शमन शुल्क अधिरोपण के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या–6316 / 9–आ–3–99–100 विविध / 1997, दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 द्वारा स्पष्ट व्यवस्था कर दी गयी है।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सेलुलर मोबाइल संचार प्रणाली एक इन्फ्रास्ट्रक्चरल सेवा है। अतः इस सेवा के अधिकाधिक विस्तार एव उपयोगिता को–दृष्टिगत रखते हुये ही किसी विकास शुल्क अथवा अन्य किसी प्रकार के शुल्क की व्यवस्था न करते हुये केवल एकमुश्त (लम्पसम) शुल्क की व्यवस्था की गयी थी। तद्नुसार स्पष्ट किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 24–1–98 से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई विकास शुल्क आदि नहीं लिया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

पृ0सं0 : 6318(1)/9–आ–3–99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0 प्र0, लखनऊ।
2. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
4. नियत प्राधिकारी, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।